

कार्यालय – जिला कार्यक्रम अधिकारी, महाराजगंज।

पत्रांक— /जि0का0का0/आं0वा0का0/आं0वा0सहा0भर्ती/2026-27 दिनांक 11-08-26

विज्ञापित

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या-1/2025/ 3313/58-1-2025 (1917687) दिनांक 17.09.2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद महाराजगंज के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं की मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत इच्छुक महिला अभ्यर्थियों से विभागीय वेबसाइट <https://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत् है—

क्र0 स0	परियोजना का नाम	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री					आंगनवाड़ी सहायिका				
		अनुसूचित जन जाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	कुल योग	अनुसूचित जन जाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
01	परतावल	03	01	04	04	12	04	04	03	04	15
02	फरेन्दा	01	08	08	20	37	01	02	—	05	08
03	बृजमनगंज	01	02	—	04	07	02	02	03	03	10
04	मिठौरा	01	01	01	03	06	01	—	01	03	05
05	सदर	01	04	05	10	20	01	02	01	04	08
06	घुघली	01	02	03	02	08	01	04	05	04	14
07	धानी	—	—	01	02	03	—	—	—	01	01
08	निचलौल	01	01	02	07	11	—	03	02	10	15
09	सिसवां	—	05	04	02	11	01	01	02	01	05
10	लक्ष्मीपुर	—	04	02	08	14	—	02	07	03	12
11	नौतनवां	—	01	01	04	06	—	02	05	05	12
12	शहर	01	01	01	01	04	02	01	04	12	19
13	पनियरा	01	06	06	12	25	01	05	03	08	17
योग		11	36	38	79	164	14	28	36	63	141

उपरोक्त पदों का ग्रामसभा/वार्डवार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, जिला कार्यक्रम कार्यालय, तहसील, नगर पालिका/नगर पंचायत, विकास खण्ड एवं समस्त बाल विकास परियोजना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गयी है साथ ही आंगनवाड़ी भर्ती पोर्टल <https://upanganwadibharti.in> पर अपलोड है। इसके अतिरिक्त आवेदक यदि चाहें तो रिक्ति संबंधी जानकारी हेतु कार्यदिवस के दिन संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय अथवा जिला कार्यक्रम कार्यालय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश—

- 1— रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका के विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन के लिए पात्र होंगे।
- 2— रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका के पद पर चयन की समस्त कार्यवाही बाल विकास विभाग एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 के शासनादेश संख्या- 1/2025/ 3313/58-1-2025 (1917687) दिनांक 17.09.2025 में वर्णित प्रक्रिया के आधीन होगी।
- 3— रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका के पद पर न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट एवं उसके समकक्ष तथा अधिकतम परास्नातक होगी। मेरिट का निर्धारण इण्टरमीडिएट से परास्नातक तक की योग्यता के आधार पर किया जायेगा।

- 4-रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका के पद पर आवेदन हेतु उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्र हेतु उसी वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है।
- 5-रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका के पद पर न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित है। आयु की गणना 01 जुलाई, 2026 से की जायेगी। अभ्यर्थी के जन्मतिथि के सम्बन्ध में हाईस्कूल अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।
- 6-रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका के पद पर विधवा अभ्यर्थी हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी।
- 7-रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका के पद पर तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश ही मान्य होगा।
- 8-रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका के पद पर आय के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-09 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3959/1-9-11-राज-9 दिनांक 30.09.2011 (यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण ही मान्य होंगे जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो। समाज कल्याण अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-22/2015/2123/26-2-2015 दिनांक 14 सितम्बर, 2015(यथा संशोधित) द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा।
- 9-रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका के पद पर उपजिलाधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व तहसीलदार के डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत आय एवं जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से संभव हो।
- 10-रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका के पद पर आवेदन पत्र में अंकित आय प्रमाण पत्र का ऑनलाइन सत्यापन में निर्गत हुआ नहीं पाया जाता है तो सम्बन्धित अभ्यर्थी को गरीबी रेखा से नीचे का अभ्यर्थी नहीं मानते हुए नियमानुसार चयन की कार्यवाही की जायेगी।
- 11-रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका के पद पर आवेदन पत्र में अंकित जाति प्रमाण पत्र का ऑनलाइन सत्यापन में निर्गत हुआ नहीं पाया जाता है तो सम्बन्धित अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी का मानते हुए नियमानुसार चयन की कार्यवाही की जायेगी।
- 12-रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका के पद पर एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की दशा में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनायी जायेगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका के सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या समकक्ष एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी। हाईस्कूल के अंकों को मेरिट में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- 13-रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका के पद पर अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा, वही उसका अंक माना जायेगा अर्थात् यदि किसी अभ्यर्थी को इण्टरमीडिएट परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं, तो उसे $45/10 = 4.5$ अंक प्राप्त होंगे, इसी प्रकार यदि किसी अभ्यर्थी को 59 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं, तो उसे $59/10 = 5.9$ अंक प्राप्त होंगे।
- 14-रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका के पद पर इसी प्रकार ग्रेडिंग एवं सीजीपीए पद्धति में प्राप्त अंक भी आगणित किये जायेंगे। मेरिट सूची तैयार करने में दशमलव के तीन अंकों तक गणना की जायेगी। दशमलव के बाद के किसी भी अंक को पूर्णांकित नहीं किया जायेगा।
- 15-रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका के पद पर आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्मेट पर ऑनलाइन व सही-सही सावधानी पूर्वक भरे जायेंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति, जो स्वच्छ और पठनीय हो अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख ऑनलाइन फॉर्म में किया गया है।
- 16-रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका के पद पर कोई भी आवेदन या अभिलेख/प्रपत्र ऑफलाइन या डाक द्वारा मान्य नहीं होंगे तथा आवेदन के समय अपलोड किये गये अभिलेखों के आधार पर ही चयन की कार्यवाही की जायेगी।

17-रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका के पद पर यदि आवेदन में प्रविष्ट कोई भी विवरण या कोई तथ्य/आंकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूट रचित या प्रविष्ट आवेदन से अलग पाये जायेंगे तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

18-रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका के विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन हेतु अन्तिम तिथि दिनांक 01 सितम्बर, 2026 को मध्यरात्रि 12:00 बजे तक होगी।

19-रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका के पद पर चयन प्रक्रिया पूर्णतया पोर्टल से ऑनलाइन माध्यम से शासनादेश में वर्णित दिशा निर्देशानुसार सम्पादित होगी। इसके लिये किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

20-एक आंगनवाड़ी केन्द्र पर एक ही परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका पद पर नहीं की जायेगी।

21-रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्न तथ्यों का विशेष ध्यान दिया जाय-

रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका के पद पर समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल <https://upanganwadibharti.in> से होनी है। कोई भी आवेदन किसी भी किसी भी स्तर पर हार्ड कॉपी में नहीं प्राप्त किया जाना है।

(वाणी वर्मा)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
महाराजगंज।

पृष्ठांकन संख्या C-1040 /तददिनांकित

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर-प्रदेश, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, महाराजगंज की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, महाराजगंज।
4. जिला सूचना अधिकारी महाराजगंज को इस आशय के साथ कि न्यूनतम दर पर एक स्थानीय तथा एक प्रदेश स्तर के समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
5. सम्बन्धित उपजिलाधिकारी जनपद महाराजगंज को इस आशय से कि तहसील के नोटिस बोर्ड पर विज्ञप्ति की प्रति चस्पा कराने का कष्ट करें।
6. सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी जनपद महाराजगंज को इस आशय से कि विकास खण्ड के नोटिस बोर्ड पर विज्ञप्ति की प्रति चस्पा कराने का कष्ट करें।
7. सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी जनपद महाराजगंज को इस निर्देश के साथ कि विज्ञापित पदों का पूर्ण विवरण सहित अन्य जानकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महाराजगंज।